।

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम लक्ष्मणगढ़

करनैल सिंह बनाम राजेन्द्रसिंह

प्रा. पत्र 212 आर.टी.एक्ट स्थगन प्रा० पत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
29.08.2019	आज यह प्रा.पत्र सायल के वकील द्वारा मय प्रा0 पत्र 212 आर. टी.एक्ट पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। सायल ने प्रार्थना पत्र के साथ स्वयं का शपथ पत्र एवं फोटोप्रति जमाबन्दी 2069–2075 पेश कर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन किया। हमने वकील सायल की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के साथ पेश दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्टया केस एवं सूविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तारीख पेशी दिनांक 21.10.2019 तक पाबन्द किया जाता हैं कि विवादित आ.ख. नं0 हाल 120, 255, 287, 288, 444, 488 वाके ग्राम खेडली बहादर तह0 गोविन्दगढ में गैरसायलान को विवादित आराजी में रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है। यदि उक्त आदेश की पालना में कोई एतराज हो तो नियत दिनांक को उपस्थित न्यायालय होकर जाहिर करें कि क्यों ना उक्त आदेश ताफैसला दावा स्थाई कर दिया जावें। आदेश जारी हो।पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को जर्ये कोर्ट नोटिस तलब कर दिनांक 21.10.2019 को पेश हो। (sd/-) उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ अलवर	
21/X/19	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप०। तलबी हेतु इन्तजार किया जाता है। [illegible] पूर्व में जारी स्थगन आदेश की अवधि बढ़ाई जाता है। पत्रावली तलबी इन्तजार में दि० 16/12/19 को पेश हो।	
16/12/19	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप०। अ०सं० 1 लगा। की तलबी अप्राप्त है। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजि०/साधा० तलबाना पेश करे। तब तक पूर्व स्थगन की अवधि बढ़ाई जाती है। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 26/2/20 को पेश हो। (sd/-)	

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो जारी हुआ
17.12.21 नरसीत	पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में शिविर में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर खेड़ामहमूद में पेश हुई। प्रार्थीगण उप०/ प्रार्थीगण ने प्रा०पत्र पेश कर निवेदन किया कि वो मुकदमा लड़ना नहीं चाहते मुकदमा खारिज करने का निवेदन किया। मूल दावा भी वादीगण के प्रा०पत्र पर खारिज हो गया है। अतः प्रा० पत्र 212 RTA खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर सरिश्ता से कल हो सुनाया। SDO G. उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)	

Scanned with CamScanner